भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 412
उत्तर देने की तारीख-03/12/2025

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का सुधार और सुदृढ़ीकरण

412 डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) के कार्यकरण में सुधार लाने तथा देश में शिक्षा की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से नया ढांचा स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) क्या मंत्रालय ने विकसित देशों के नियमों की जांच की है, जिसमें शैक्षिक संस्थाओं के दृढ़ शैक्षणिक लेखा परीक्षा के उनके तरीके भी शामिल हैं, यदि हां, तो भारत की शैक्षिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए उन कौन से प्रमुख बिंदुओं की पहचान की गई है जिन्हें अपनाया जा सकता है; और
(ग) क्या सरकार एनएएसी के लिए कानून बनाने का विचार करती है, और कथित अनियमितताओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), **2020** के दृष्टिकोण के अनुसार, श्रेणीबद्ध मान्यता की एक मजबूत प्रणाली स्थापित की जाएगी, जो गुणवत्ता, स्व-शासन और स्वायत्तता के निर्धारित स्तरों को प्राप्त करने के लिए सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए चरणबद्ध बेंचमार्क निर्दिष्ट करेगी।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के मूल्यांकन और प्रत्यायन को सुदृढ़ करने के लिए, भारत सरकार ने डॉ. के. राधाकृष्णन, तत्कालीन अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर और आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति ने एनईपी, 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप कार्यनीति सुधारों की शुरूआत और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणालियों के माध्यम से उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अनुमोदन, प्रत्यायन और रैंकिंग के लिए एक सरल,

विश्वास आधारित, उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता पर विचार किया। इसने मान्यता पर वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों पर भी विचार किया। समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इस समिति की रिपोर्ट http://naac.gov.in/images/docs/DrRadhakrishnanCommittee-FinalReport.pdf पर उपलब्ध है।

सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान अपनी संस्थागत विकास योजनाओं (आईडीपी) के माध्यम से अगले 15 वर्षों में उच्चतम स्तर की मान्यता प्राप्त करने का लक्ष्य रखेंगे, और इस प्रकार अंततः स्वशासी डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों/क्लस्टरों के रूप में कार्य करने का लक्ष्य रखेंगे। मौजूदा वैश्विक पद्धति के अनुसार, दीर्घकाल में, प्रत्यायन एक द्विआधारी प्रक्रिया बन जाएगी।

(ग) स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) दो चरणों बुनियादी/बाइनरी प्रत्यायन की शुरूआत और उसके बाद परिपक्वता आधारित श्रेणीबद्ध स्तर (एमबीजीएल) में सुधारों को कार्यान्वित कर रहा है। एनएएसी ने उच्च शिक्षा अधिकारियों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए नई मान्यता पद्धति के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए हैं और परामर्श पर ध्यान केंद्रित किया है।

****